


वकील प्रार्थी उप.। सुना गया। वकील प्रार्थी ने बताया कि तहत न्यायालय द्वारा दावा में निर्णय किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं रहता है। चूंकि एस.डी.ओ. बयाना द्वारा विचाराधीन प्रकरण में निर्णय किया जा चुका है, अतः यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ़तर हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
भरतपुर